पत्र सं०-3/एफ0-01-(सू0अ0)-27/2022.....1967.....वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सूचना का अधिकार (अधिनियम, 2005)

सूचना का अधिकार

प्रेषक,

सुरेन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदा०,
प्रशाखा-3, वित्त विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना-15

सेवा में,

श्री निराला कुमार चौधरी,
ग्राम+पो0-कडसर, प्रखण्ड-नावानगर,
जिला-बक्सर, बिहार,
पिन-802129.

पटना, दिनांक : 25/10/2022

विषय :- **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

यह आपके आवेदन दिनांक-05.08.2022 एवं दिनांक-28.09.2022(आई०डी०सं०-461 एवं 460/2022-23, दिनांक-19.10.2022) द्वारा याचित सूचना के प्रसंग में है ।

2. वित्त विभागीय परिपत्र सं0-1977, दिनांक-04.04.1992 द्वारा राज्य सरकार के नियमित महिला कर्मचारियों को दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमान्य किये जाने का प्रावधान है । संदर्भित परिपत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है ।

3. आपके द्वारा किसी अभिलेख की माँग न कर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु लोक सूचना पदाधिकारी से प्रश्न पूछा गया है । पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना सूचना का सृजन माना जायेगा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है ।

4. अगर आप उपर्युक्त निर्णय से क्षुब्ध है, तो निर्णय प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय प्राधिकार का नाम/पता का विवरणी।
श्री मिथिलेश मिश्र (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव,
कमरा नं0-283, वित्त विभाग।

अनु०-यथो०

विश्वासभाजन

25/10/2022

(सुरेन्द्र ठाकुर)
अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
प्रशाखा-3, वित्त विभाग।

Folder-2021

बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या 3/ एफ 2-01/92/1977 वि०, दिनांक 4-4-1992 की प्रतिलिपि ।)

विषयः — नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की माँग एवं उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाय ।

2. यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा ।

3. यह छुट्टी प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी ।

4. विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनका वर्त्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त है ।

5. यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग कराने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (ख) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन गणित होगी ।

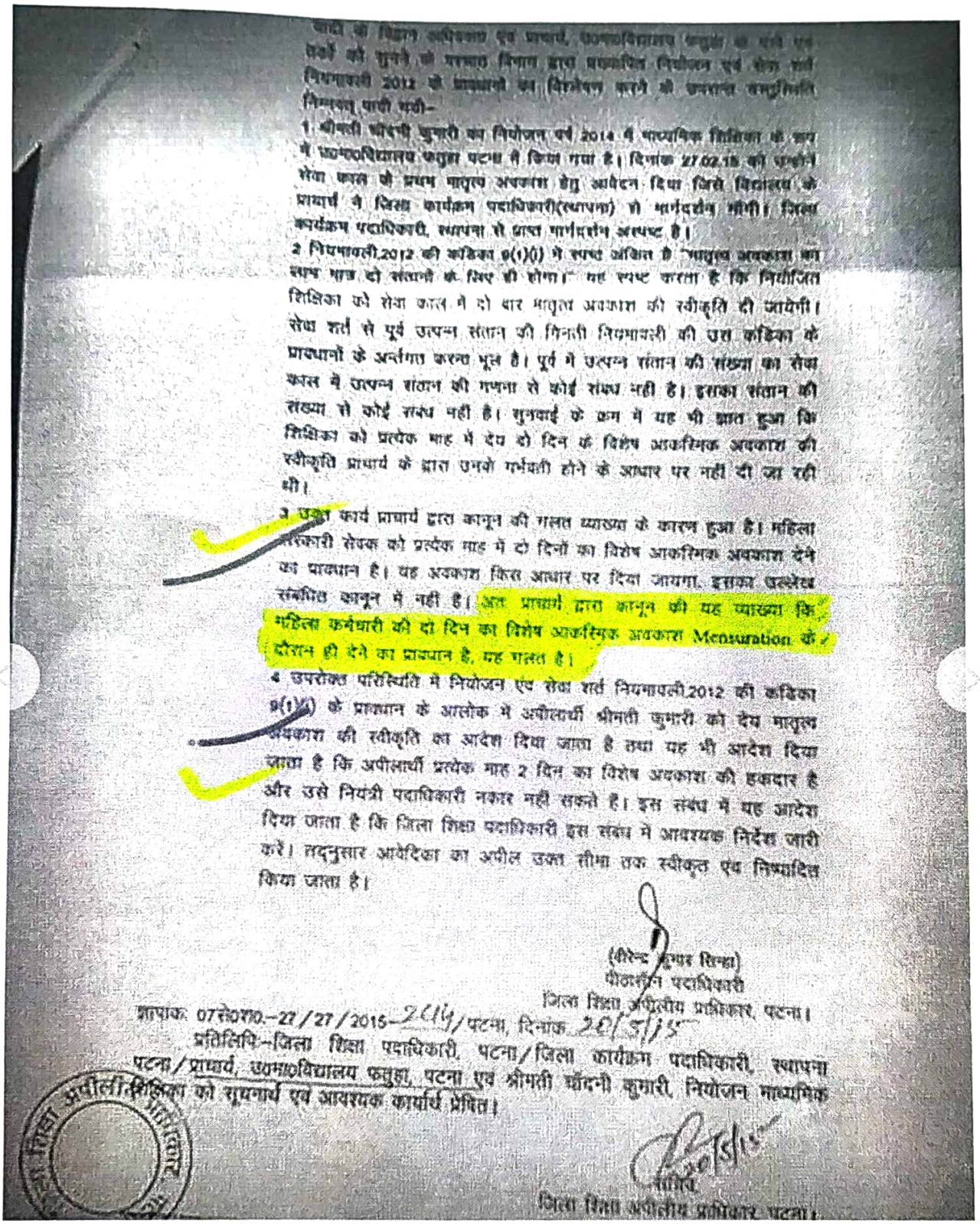

पार्टी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्राचार्य, उ०मा०विद्यालय फतुहा के पक्षों एवं तर्कों को सुनने के पश्चात विभाग द्वारा प्रकाशित नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष पायी गयी-

1 श्रीमती चाँदनी कुमारी का नियोजन वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षिका के रूप में उ०मा०विद्यालय फतुहा पटना में किया गया है। दिनांक 27.02.15 को उन्होंने सेवा काल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया जिसे विद्यालय के प्राचार्य ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) से मार्गदर्शन माँगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना से प्राप्त मार्गदर्शन अस्पष्ट है।

2 नियमावली,2012 की कंडिका 9(1)(i) में स्पष्ट अंकित है "मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही होगा।" यह स्पष्ट करता है कि नियोजित शिक्षिका को सेवा काल में दो बार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जायेगी। सेवा शर्त से पूर्व उत्पन्न संतान की गिनती नियमावली की उस कंडिका के प्रावधानों के अन्तर्गत करना भूल है। पूर्व में उत्पन्न संतान की संख्या का सेवा काल में उत्पन्न संतान की गणना से कोई संबंध नहीं है। इसका संतान की संख्या से कोई संबंध नहीं है। सुनवाई के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि शिक्षिका को प्रत्येक माह में देय दो दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य के द्वारा उनके गर्भवती होने के आधार पर नहीं दी जा रही थी।

3 उक्त कार्य प्राचार्य द्वारा कानून की गलत व्याख्या के कारण हुआ है। महिला सरकारी सेवक को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान है। यह अवकाश किस आधार पर दिया जायगा, इसका उल्लेख संबंधित कानून में नहीं है। अतः प्राचार्य द्वारा कानून की यह व्याख्या कि महिला कर्मचारी को दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश Mensuration के दौरान ही देने का प्रावधान है, यह गलत है।

4 उपरोक्त परिस्थिति में नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली,2012 की कंडिका 9(1)(i) के प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती कुमारी को देय मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश की हकदार है और उसे नियंत्री पदाधिकारी नकार नहीं सकते है। इस संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। तदनुसार आवेदिका का अपील उक्त सीमा तक स्वीकृत एवं निष्पादित किया जाता है।

(वीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
पीठासीन पदाधिकारी
जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार, पटना।

ज्ञापांक 07से०शि०-27/27/2015-2414/पटना, दिनांक 20/5/15

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना पटना/प्राचार्य, उ०मा०विद्यालय फतुहा, पटना एवं श्रीमती चाँदनी कुमारी, नियोजन माध्यमिक शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार, पटना।

4. क्षतिपूरक छुट्टी [illegible] की तरह आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है। ऐसे ही [illegible] कर्त्तव्य पर माना जायगा।

5. क्षतिपूरक छुट्टी एक मुश्त अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर 12 दिनों तक ही एक बार दी जा सकती है।

6. क्षतिपूरक छुट्टी का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में एक वर्ष के अन्दर ही किया जा सकता है।

[*ज्ञाप संख्या 3/पी०आर०जी० 2-113/72/10281 वि०, दिनांक 27-9-1973]

4

*विषय : नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की माँग एवं उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाय।

2. यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।

3. यह छुट्टी प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी।

4. विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनका वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त है।

5. यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग कराने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (ख) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन गणित होगी। [*पत्र संख्या 3/एफ० 2-01/92/1977 वि०, दिनांक 4-4-1992]

3. आकस्मिक छुट्टी का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। ये नियम केवल अधिक-से-अधिक दी जा सकने वाली छुट्टी विहित करते हैं और राज्य सरकार कुछ सरकारी सेवकों को ऐसी छुट्टी स्वीकृत करने की विवेक शक्ति देते हुए भरोसा करती है कि वे उन दशाओं में यह छुट्टी नहीं देंगे जबकि यह वस्तुतः आवश्यक न हो या जब इसकी स्वीकृति लोक सेवा के हितों के विरुद्ध हो। जहाँ कोई दूसरी तरह की छुट्टी उपयुक्त हो, वहाँ आकस्मिक छुट्टी नहीं देनी चाहिए।

4. जो सरकारी सेवक आकस्मिक छुट्टी या विश्रामावकाश में अथवा अवकाश में अनुपस्थिति की इजाजत लेकर अधिष्ठान छोड़ना चाहे, उसे अपने आवेदन में अपना पता दे देना चाहिए, जहाँ वह इस छुट्टी में रहेगा।

कोई सरकारी सेवक ऐसी छुट्टी में, यदि वह राजपत्रित सरकारी सेवक हो, तो सरकार की और यदि कोई अन्य हो, तो मंजूरी देनेवाली प्राधिकारी की खास अनुज्ञा के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकता।

5. आकस्मिक छुट्टी, निरोधा छुट्टी और रविवारों तथा अवकाशों में अनुपस्थित की इजाजत निम्न प्राधिकारी दे सकते हैं –

मंजूर करने वाला प्राधिकारी	अधीन सरकारी सेवक
1	2
(1) राज्य सरकार ...	राजस्व बोर्ड का सदस्य, प्रमंडलों के आयुक्त (कमिश्नर) (उन्हें छुट्टी की मंजूरी की रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के जानकारी के लिए देनी होगी); कार्याध्यक्ष (राजस्व बोर्ड के अधीन कार्याध्यक्षों को छुट्टी की मंजूरी की रिपोर्ट बोर्ड को देनी होगी); सरकारी मुद्रणालय का अधीक्षक, हिन्दी-उर्दू अनुवादक; [श्रम आयुक्त, बिहार और अध्यक्ष, औद्योगिक